Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2021 SHISRRJ | Volume 4 | Issue 3 | ISSN : 2581- 6306

महिलाओ के लज्जा भंग को रोकने के लिए भारतीय दंड संहिता, 1860 के अन्तर्गत किए गए प्रावधानो का विधिक अध्ययन

डॉ स्नप्निल त्रिपाठी

सहायक आचार्य, विधि संकाय, नेहरु ग्राम भारती (मानित विश्वविद्यालय), प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।

श्रीप्रकाश यादव

शोध छात्र, नेहरु ग्राम भारती (मानित विश्वविद्यालय), प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।

Article Info
Volume 4, Issue 3
Page Number : 124-129
Publication Issue :
May-June-2021
Article History
Accepted : 01 June 2021
Published : 15 June 2021

संक्षेप-इस शोध पत्र के माध्यम से भारतीय दंड संहिता,1860 के अन्तर्गत महिलाओ के लज्जा भंग को रोकने के लिए किए गए विधिक प्रावधानो का अध्ययन करना है। इसके अतिरिक्त लज्जा भंग को रोकने के लिए जो न्यायिक निर्णय आये उनका भी अध्ययन करना है। लज्जा भंग को रोकने के लिए अपने सुझाव देना है।

संकेत शब्द- स्त्री,घर,छेड़छाड़,कार्यस्थल,सार्वजनिक स्थल, लज्जा भंग,लैंगिक टिप्पणी, विवस्त्र दृश्यरतिकता,पीछा करना।

प्रस्तावना - प्राचीन काल में स्त्री को शक्तिस्वरूपा माना जाता था।स्त्रियो को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। मनु ने मनुस्मृति मे कहा है-

यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता[1]।

अर्थात जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता भी निवास करते है।

इसके वावजूद भी प्राचीन काल मे स्त्रियो के लज्जा भंग के सम्बन्ध मे अनेक उदाहरण मिलते है जैसै-भगवान इन्द्र द्वारा वेश बदलकर अहल्या का बलात्संग करना,राजा बलि द्वारा अपने छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी का बलपूर्वक अपनी पत्नी बनाना,भरी सभा मे द्रोपदी का चीरहरण करना आदि।

प्राचीन काल मे विवाह के जो अमान्य प्रकार थे जैसे-असुर विवाह,राक्षस विवाह,पैसाच विवाह के माध्यम से भी स्त्रियों की लज्जा भंग किया जाता था।

मुगल काल मे स्त्रियो को केवल भोग विलास की वस्तु समझा जाता था। बादशाहों तथा अमीर वर्ग के अपने हरम होते थे।इन हरम मे स्त्रियो का शारीरिक व मानसिक शोषण किया जाता था।इस काल मे स्त्रियो की दशा मे अत्यधिक गिरावट आयी।जिसके परिणाम स्वरुप बाल विवाह,पर्दा प्रथा,सती प्रथा का प्रचलन हुआ।जिससे पुरुष अपनी महिलाओ,बच्चियों का लज्जा भंग से बचाव कर सके।

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

दक्षिण भारत में देवदासी प्रथा का प्रचलन था। इस प्रथा के अन्तर्गत कुंवारी कन्याओं को धर्म के नाम ईश्वर के साथ विवाह कराकर मंदिरो को दान कर दिया जाता था।कलान्तर मे देवताओ से ब्याहीं इन महिलाओं को ही देवदासी कहा जाता था। बाद मे इन महिलाओ का भी यौन उत्पीड़न किया जाने लगा।

जिस वजह से इस प्रथा को समाप्त करने के लिए 1934 मे बाम्बे देवदासी संरक्षण अधिनियम पारित किया गया।1982 मे कर्नाटक सरकार ने देवदासी प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। और 1988 मे आन्ध्र प्रदेश सरकार ने भी इसे अवैध घोषित कर दिया।

महिलाओ के लज्जा भंग को रोकने के लिए ब्रिटिश काल मे अनेक कानून बनाये गए। जब भारत को 1947 मे स्वतत्रंता मिली तो भारतीय संविधान के अन्तर्गत विधि के समक्ष समानता का अधिकार देने के साथ –साथ महिलाएं भी मूल अधिकारों का उपयोग करते हुए गरिमामय जीवन व्यतीत कर सके इसके लिए भी विशेष उपबन्ध किए गए।

महिलाओ के लज्जा भंग को रोकने के लिए समय-समय पर अनेक अधिनियम बनाए गए और इन अधिनियमों को समय-समय पर बदलते हुए परिवेश के अनुसार संशोधन किया। वे अधिनियम निम्नलिखित है-

1.भारतीय दंड संहिता,1860

2.भारतीय साक्ष्य अधिनियम,1872

3.अनैतिक व्यापार(निवारण) अधिनियम,1956

4.स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम,1986

5.बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम,2006

7.यौंन अपराधों से बच्चो का संरक्षण अधिनियम,2012

8.महिला को कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन(निवारण,प्रतिषेध,प्रतिशोध) अधिनियम,2013

9.आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम,2013

10. आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम,2018

भारतीय दंड संहिता,1860- महिलाओ के लज्जा भंग को रोकने सम्बन्धित प्रावधान

भारतीय दंड संहिता,1860 के अन्तर्गत ‘‘लज्जा’’ शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। भारतीय दंड संहिता,1860 की धारा 292,293,354,509 तथा आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम,2013 के तहत 354-क,354-ख,354-ग,354-घ को अन्तःस्थापित किया गया ।

शाँटर आक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी (तृतीय संस्करण) के अनुसार लज्जा,लज्जावान होने का गुण है और स्त्री के संदर्भ मे इससे अभिप्रेत व्यवहार की स्त्रियोचित शीलता,विचार,वाणी तथा आचरण की नैतिक सतर्कता से शुद्वता से है।[2]

धारा 354- स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग

जो कोई किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से या यह संम्भाव्य जानते हुए कि तद्द्वारा वह उसकी लज्जा भंग करेगा,उस स्त्री पर हमला करेगा या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा वह दोनो मे से किसी भाँति के कारावास,जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो पाँच वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से दण्डनीय होगा ।

सेवा शेट्टी का मामला[3] के वाद मे कहा गया कि अशिष्ट हमले की कोटी मे क्या आता है,यह जनता के रीति रिवाजो,आदतो तथा सम्बन्धित महिला कि आयु पर निर्भर करेगा । जो कृत्य नैतिकता को भंग करने वाले है,स्वभाविकताःवे ही कृत्य किसी महिला की लज्जा भंग करने वाले होगे।वैसे मात्र शब्द हमले की कोटी मे नहीं आते ।यदि कोई महिला सहमत पक्षकार है,तब उसकी लज्जा भंग करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।धारा 354 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध गठन के लिए आपराधिक आशय या जानकारी आवश्यक है।किसी स्त्री का हाथ पकड़कर शारीरिक सम्पर्क के लिए निवेदन करना उक्त महिला की लज्जा भंग करने की कोटि मे आ सकेगा।

लज्जा भंग से सम्बन्धित कुछ उदाहरण- विभिन्न निर्णयो के आधार पर निम्न तथ्यो एवं परिस्थितियों मे किए गए कृत्य किसी स्त्री की लज्जा भंग करने की परिधि मे आते है-

दामोदर बनाम उड़ीसा राज्य[4] के वाद मे कहा गया कि किसी महिला का एक अभियुक्त द्वारा हाथ पकड़ना तथा अन्य द्वारा उसकी साड़ी हटाना लज्जा भंग की परिधि मे आयेगा।

केशव बाली राम नाईक बनाम महाराष्ट्र राज्य[5] के वाद मे कहा गया कि किसी सोती हुई महिला का हाथ स्पर्श करना तथा उसके ऊपर से ओढी हुई चादर हटाना और उसकी मेक्सी मे हाथ डालना महिला की लज्जा भंग की कोटी मे आयेगा।

केरल राज्य बनाम हमसा[6] के वाद मे कहा गया कि किसी पुरुष द्वारा किसी महिला को देखकर ऑख मारना भी महिला की लज्जा भंग माना जायेगा।

कोमती राजम बनाम आन्ध्र प्रदेश[7] के वाद मे कहा गया कि किसी स्त्री को उसकी लज्जा भंग करने के आशय से उसे खींचना लज्जा भंग की परिधि मे आयेगा।

मदन लाल बनाम राजस्थान राज्य[8] के वाद मे कहा गया कि किसी स्त्री कि सहमति के बिना चुम्बन लिया जाना या अशिष्ट व्यवहार किया जाना लज्जा भंग की परिधि मे आयेगा।

बलदेव प्रसाद बनाम राज्य[9] के वाद मे कहा गया कि किसी पुरुष द्वारा किसी स्त्री को बांहो मे भरकर उसके आपराधिक मन से वक्षस्थल को दबाना लज्जा भंग की परिधि मे आयेगा।

श्रीमती रुपम देवल बजाज बनाम केपीएस गिल[10] के वाद मे श्रीमती बजाज पंजाब कैडर की एक अधिकारी थी घटना के समय वे पंजाब राज्य मे कार्यरत थी दिनांक 18 जुलाई 1988 मे एस. एन. कपूर के यहां एक पार्टी मे गयी हुई थी उस दावत मे पंजाब पुलिस महानिदेशक केपीएस गिल भी आमंत्रित किए गए थे। देवल का यह कहना था कि रात करीब 10 बजे केपीएस गिल उसके पास आये और उसके कूल्हे पर हाथ मारा देवल को यह बहुत बुरा लगा उसके द्वारा केपीएस गिल के विरुद्व आईपीसी की धारा 341,342,352,354 और 509 के अन्तर्गत मामला दर्ज कराया गया। केपीएस गिल ने इसे सुप्रीम कोर्ट चुनौती दी।सुप्रीम कोर्ट ने

आईपीसी की धारा 354 और 509 का अन्तर्गत प्रथम दृष्टया मामला माना और विचारण के निर्देश दिए और धारा 354 का दोषी पाया।

राजस्थान राज्य बनाम विजय राम[11] के वाद मे यह अभिनिर्धारित किया गया कि किसी सार्वजनिक स्थान पर या रिश्तेदारों के सामने पति द्वारा पत्नी को बार-बार चूमना या शरीर के ऐसे स्थान को छुना जिससे लज्जा भंग होती है धारा 354 के अन्तर्गत अपराध है।

लज्जा भंग की परिधि मे न आने वाले मामले-विभिन्न विधि निर्णयो के आधार पर कुछ कृत्य महिला की लज्जा भंग की परिधि मे नही आते-

सेवाशेट्टी का मामला[12] के वाद मे कहा गया कि जब महिला सहमत पक्षकार हो तो ऐसी स्थिति मे उसकी लज्जा भंग नहीं होती।

बैजनाथ का मामला[13] के वाद मे कहा गया है कि जब किसी स्त्री के वस्त्र संघर्ष में स्वयं ढीले हो गये थे और स्वयं उसके द्वारा हिंसा भी की गयी हो तो अभियुक्त को लज्जा भंग का दोषी नहीं माना जायेगा।

श्रीमती रुपम देवल बजाज बनाम केपीएस गिल[14] के वाद मे कहा गया है कि धारा 354 भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 95 भारतीय दण्ड संहिता,1860 किसी स्त्री की लज्जा भंग करने वाले के ऊपर लागू नहीं होगी क्योकि किसी भी परिस्थिति मे स्त्री की लज्जा भंग करने वाले अपराध तुच्छ नहीं हो सकता। इस वाद मे यह भी कहा गया कि जब किसी स्त्री के पेट पर बिना कुछ और हरकत किए मात्र हाथ प़ड़ गया था तो आपराधिक आशय के अभाव मे लज्जा भंग नहीं माना जायेगा।

दण्ड-धारा 354 के अन्तर्गत जो दण्ड दिया जाता है वह किसी भाँति के कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो पाँच वर्ष से कम की नहीं होगी और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

धारा 354-क[15]**लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न के लिए दण्ड-(1)**ऐसा कोई निम्नलिखित कार्य,अर्थात

(i) शारीरिक सम्पर्क और अग्रक्रियाए करने,जिनमे अनांछनीय और लैंगिक सम्बन्ध बनाने सम्बन्धी स्पष्ट प्रस्ताव अंतर्वलित हो,

(ii) लैंगिक स्वीकृति के लिए कोई माँग या अनुरोध करने,या

(iii) किसी स्त्री की इच्छा के विरुद्व बलात् अश्लील साहित्य दिखाने,या

(iv) लैंगिक आभासी टिप्पणियां करने

वाला पुरुष लैंगिक उत्पीड़न के अपराध का दोषी होगा।

(2) ऐसा कोई पुरूष जो उपधारा (1) का खंड (i) या खंड (ii) या खंड (iii) मे विनिर्दिष्ट अपराध करेगा,वह कठोर कारावास से ,जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से,या दोनों से दंडित किया जायेगा।

(3) ऐसा कोई पुरूष,जो उपधारा (1) के खंड (iv)मे विनिर्दिष्ट अपराध करेगा वह दोनों मे से किसी भाँति के कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी,या जुर्माने से या दोनो से दंण्डित किया जायेगा।

धारा 354-ख[16] विवस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग

ऐसा कोई पुरूष जो किसी स्त्री को किसी सार्वजनिक स्थान मे विवस्त्र करने या निर्वस्त्र होने के लिए बाध्य करने के आशय से उस स्त्री पर हमला करेगा या उसके प्रति आपराधिक बल का प्रयोग करेगा या ऐसे कृत्य को दुष्प्रेरण करेगा वह दोनों मे से किसी भाँति के कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो पाँच वर्ष तक हो सकेगी,दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

धारा 354-ग[17] दृश्यरतिकता- ऐसा कोई पुरूष, जो कोई ऐसी किसी स्त्री को,जो उन परिस्थितियो के अधीन,जिनमे वह यह आशा करती है कि उसे अपराध करने वाला या अपराध करने वाले के कहने पर कोई अन्य व्यक्ति देख नहीं रहा होगा किसी प्राइवेट कृत्य मे लगी किसी स्त्री को एकटक देखेगा या उसका चित्र खिचेगा अथवा उस चित्र को प्रसारित करेगा,प्रथम दोषसिद्वि पर दोनों मे से किसी भाँति के कारावास से,जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नही होगीं किन्तु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी दण्डित किया जायेगा और द्वितीय अथवा पश्चातवर्ती किसी दोषसिद्वि पर दोनों मे से किसी भाँति के कारावास से,जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी,दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण-1 इस धारा के प्रयोजनो के लिए ''प्राइवेट कृत्य'' के अन्तर्गत ऐसे किसी स्थान मे देखने का कार्य किया जाता है जिसके सम्बन्ध मे,परिस्थितियो के अधीन युक्तियुक्त रुप से यह आशा की जाती है कि वहां एकांतता होगी और जहां कि पीड़िता के जननांगों,नितम्बो या वक्षस्थलो को अभिदर्शित किया जाता है या केवल अधोवस्त्र से ढका जाता है अथवा जहां पीड़िता किसी शौचघर का प्रयोग कर रहीं है,या जहां पीड़िता ऐसा कोई लैंगिक कृत्य कर रही है जो ऐसे प्रकार का नहीं है जो साधारणतया सार्वजनिक तौर पर किया जाता हैं।

धारा 354-घ[18] पीछा करना-(1) ऐसा कोई पुरुष जो-

(i)किसी स्त्री का उससे व्यक्तिगत अन्योन्यक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए,उस स्त्री द्वारा स्पष्ट रुप से अनिच्छा उपदर्शित किए जाने के वावजूद,बारबांर पीछा करता है अथवा सम्पर्क करता है या सम्पर्क करने का प्रयत्न करता है,अथवा

(ii) जो कोई किसी स्त्री द्वारा इंटरनेट,ई-मेल या किसी अन्य प्ररुप की इलैक्ट्रानिक संसूचना का प्रयोग किये जाने को माँनीटर करता है,पीछा करने का अपराध करता है,

परन्तु ऐसा आचरण पीछा करने की कोटि मे नही आयेगा यदि वह पुरुष,जो ऐसा पीछा करता है,यह साबित कर देता है कि-

(i) ऐसा कार्य अपराध के निवारण या पता लगाने के प्रयोजन के लिए किया गया था और पीछा करने के अभियुक्त पुरुष को राज्य द्वारा उस अपराध के निवारण और पता लगाने का उत्तरदायित्व सौपा गया था,या

(ii)ऐसा किसी विधि के अधीन या किसी व्यक्ति द्वारा अधिरोपित किसी शर्त या अपेक्षा का पालन करने के लिए किया गया था,या

(iii)विशिष्ट परिस्थितियो मे ऐसा आचरण कार्य युक्तियुक्त और न्यायोचित था।

(2)जो कोई पीछा करने का अपराध करता है, प्रथम दोषसिद्धि पर दोनो मे से किसी भाँति के कारावास जिसका अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा और पश्चातवर्ती दोषसिद्धि पर दोनो मे से किसी भी भाँति के कारावास से जिसकी अवधि पाँच तक की हो सकेगी दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

धारा 509-शब्द, अंग विछेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित है- जो कोई किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के आशय से कोई शब्द कहेगा,कोई ध्वनि या अंग विक्षेप करेगा या कोई वस्तु प्रदर्शित करेगा,इस आशय से कि ऐसी स्त्री द्वारा ऐसा शब्द या ध्वनि सुनी जाए या ऐसा अंग विछेप या वस्तु देखी जाए अथवा ऐसी स्त्री की एकांतता का अतिक्रमण करेगा वह सादा कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी दण्डनीय होगा।

निष्कर्ष-महिलओ की लज्जा भंग को रोकने के लिए भारतीय दण्ड संहिता,1860 मे अनेक प्रावधान किए गये है।जिसमे समय और परिस्थितियों के अनुसार संशोधन भी किया जाता है। लेकिन केवल विधि बना देने से महिलओ की लज्जा भंग नहीं रुकेगी जब तक कार्यपालिका द्वारा अतिशीघ्र ऐसे मामलो मे निष्पक्ष अन्वेषण कार्य सम्पन्न नहीं किया जायेगा। अतिशीघ्र ऐसे मामलो का विचारण करना होगा । तभी इस प्रकार के अपराधो की रोकथाम संभव है।

संदर्भ सूची

1.मनुस्मृति 51 56
2.शार्टर आक्सफोर्ड डिक्शनरी(तीसरा संस्करण)
3.1953 राज.एल.डब्ल्यू 343
4.1996 क्रिमनल लाँ जर्नल 960 (म.प्र.)
5.1996 क्रिमनल लाँ जर्नल 111(बम्बई)
6. 1988(3) क्राइम्स 161(163) केरल
7. 1994 (2) क्राइम्स 511
8. 1987 क्रिमनल लाँ जर्नल 257(262) राज.
9. 1987 क्रिमनल लाँ जर्नल (एन.ओ.सी.)122 उड़ीसा
10. 1996 क्रिमनल लाँ जर्नल 381
9.1988(3) क्राइम्स161(163) केरल
10.1994 (2) क्राइम्स 511
11. 1987 क्रिमनल लाँ जर्नल 257(262) राज.
12.1953 राज.एल.डब्ल्यू 347
13. ए.आई.आर.1936 अवध 379
14.1982 क्रिमनल लाँ जर्नल 19(22)
15.आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम,2013
16. आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम,2013
17. आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम,2013
18. आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम,2013